भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2615
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समीक्षा

2615. **श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, विशेषकर कुंदरकी और दींगरपुर जैसे ग्रामीण ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जीर्ण-शीर्ण अवसंरचना और शैक्षणिक परिणामों में गिरावट की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में किए गए शिक्षक भर्ती अभियान, विद्यालयों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा सहायता, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक निगरानी उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। समग्र शिक्षा योजना में सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में सहयोग किया जाता है। स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (बीआरसी), शहरी संसाधन केन्द्रों (यूआरसी) और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों (सीआरसी) के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों को निरंतर शैक्षिक सहायता के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) वर्ष 2025-26 के तहत अनुमोदन के अनुसार, योजना के मानदंडों के अनुसार मरम्मत, पुनर्निर्माण या संबंधित उपायों के लिए 10,595.06 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 557 जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में आईसीटी और डिजिटल पहल के लिए 70,924.70 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई है, जिसमें स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी प्रयोगशालाओं और डिजिटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए सहयोग शामिल है।

चूंकि अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुमोदनों के कार्यान्वयन की सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अंतनहित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है। इन तंत्रों में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़+) पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण, वार्षिक कार्य योजनाओं और बजटों का मूल्यांकन, प्रबंध पोर्टल के माध्यम से निगरानी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणों के निष्कर्ष (अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के रूप में आयोजित), लेखा परीक्षा और सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें, तीसरे पक्ष की निगरानी आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 7 अगस्त 2025 को एक एडवाइजरी जारी की है कि वे असुरक्षित या जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं की पहचान करने के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा करके स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत, सुदृढ़ीकरण या उनको गिराने का कार्य करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे भवनों के उपयोग को तब तक प्रतिबंधित करें जब तक कि वे सुरक्षित प्रमाणित न हो जाएं, जहां आवश्यक हो, अस्थायी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करें और संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों की नियमित निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके संबंध में निर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss07008.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

*****